

## प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 16.08.2024

### थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिल चोरो को दो अदद चोरी की बिना नम्बर प्लेट लगी मोटरसाईकिल के साथ किया गिरफ्तार:-

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्री मनोज कुमार अवस्थी, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्री पंकज पंत, क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में श्री हरपाल सिंह बालियान प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ के नेतृत्व में थाना पुवायाँ पुलिस द्वारा वाहन चैकिंग के दौरान दो मोटरसाईकिल चोरो को दो अदद चोरी की बिना नम्बर प्लेट लगी मोटरसाईकिल के साथ किया गिरफ्तार ।

दिनांक 15.08.2024 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि दो व्यक्ति चोरी की अलग-2 मोटरसाईकिल चलाकर बण्डा की तरफ से आने वाले है। जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते है। जिस पर मौहल्ला तकिया को जाने वाले तिराह बण्डा रोड पर आकर वाहन चैकिंग की गयी। थोडी ही देर में दो मोटरसाईकिल आयी जिन्हे चैकिंग हेतु रुकवाया गया । दोनो मोटरसाइकिल चालको से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले ने अपना नाम माजिद पुत्र साजिद नि0 ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जिला शाहजहाँपुर बताया । जामा तलाशी से दाहिने हाथ में पकडे एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेंडर प्रो0 , रंग काला , बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई । दूसरे ने अपना नाम शौकत अली पुत्र मोहर्रम अली नि0 ग्राम पटना थाना बण्डा जिला शा0पुर बताया । जामा तालाशी से दाहिने हाथ में पकडे एक अदद मोटरसाइकिल. हीरो स्प्लेंडर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई । बरामद मोटरसाइकिल के चेसिस न0 को अपने मोबाईल ई-चालान एप पर सर्च किया गया तो उक्त मो0 सा0 का रजिस्ट्रेशन न0 UP-27V 2512 पाया गया तथा उक्त मो0सा0 की पंजीकृत बहन स्वामी से जानकारी की गयी तो उक्त मोटरसाईकिल थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर से चोरी होना पायी गयी तथा इस मो0सा0 के सम्बन्ध में थाना तिलहर जनपद शाहजहाँपुर पर मु0अ0स0 492/24 धारा 303(2) BNS पंजीकृत होना पाया गया। दूसरी मो0सा0 के पंजीकृत वाहन स्वामी से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया परन्तु सम्पर्क नहीं हो सका। दोनो व्यक्तियों को इनके जुर्म धारा 35/106 BNSS व धारा 317(2) BNS से अवगत कराकर समय करीब 21.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण उपरोक्त को अग्रिम विधिक कार्यवाही के पश्चात मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. माजिद पुत्र साजिद निवासी ग्राम पकडिया हकीम थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. शौकत अली पुत्र मोहर्रम अली निवासी ग्राम पटना थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर

#### पंजीकृत अभियोग: -

1. मु0अ0सं0 533/2024 धारा 35/106 बीएनएसएस व धारा 317(2) बीएनएस थाना पुवाया जनपद शाहजहाँपुर(अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही हैं)

#### बरामदगी का विवरण -

1. हीरो स्प्लेंडर प्रो0 रंग काला बिना नम्बर प्लेट जिसका आधा साईलेंशर नहीं है। चेसिस न0 MBLHA 10APCHM28867 ईंजन न0 HA10EKCHM04065 ,
2. हीरो स्प्लेंडर प्लस रंग काला बिना नम्बर प्लेट जिसका अगला मडगार्ड नहीं है। चेसिस न0 MBLHAW 118NHFA 5317 ईंजन न0 HA11EVNHF65497

### पूछताछ विवरण

अभियुक्त माजिद उपरोक्त ने बताया कि यह मो0सा0 मैने 3-4 दिन पहले दोपहर में सेंट मेरी स्कूल के पास तिलहर से चुरायी थी तथा शौकत अली उपरोक्त ने बताया कि करीब 02-03 माह पूर्व मैने यह मो0सा0 हल्द्वानी उत्तराखण्ड से चुरायी थी। आज हम दोनो इन मोटरसाइकिलो को बेचने के लिये शाहजहाँपुर लेकर जा रहे थे कि आपने पकड लिये। हम बेरोजगार है मो0सा0 चोरी कर फिर बेचने से जो कमाई होती है। उसे आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते है। और अपने घर का खर्चा चलाते है। बताकर अपने जुर्म की माफी मांगने लगे।

### गिरफ्तारी टीम का विवरण

1. प्रभारी निरीक्षक हरपाल सिंह बालियान थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. व0उ0नि0 सकतावत सिंह थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
3. का0 180 निर्दोष कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
4. का0 1300 विपुल मलिक थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2338 गौरव कुमार थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1806 प्रकाश थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर